संख्या- /2023/ /001-2367

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
पंचायती राज
उ0प्र0 लखनऊ

पंचायती राज अनुभाग-3 लखनऊ : दिनांक २१ नवंबर, 2023

विषय:- 15वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत प्रदेश की पंचायतीराज संस्थाओं को वर्ष 2023-24 के लिए टाइड ग्रांट की प्रथम किश्त के आवंटन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक भारत सरकार के पत्र संख्या-F.-15(4) FC-XV/FCD/2020-25 दिनांक 16.11.2023, आपके पत्र संख्या-6/5133/2023-6/312/2023-24 दिनांक 20.11.2023 एवं वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023 /बी-1-227/दस-2023-231/2023 दिनांक 17.03.2023 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि 15वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्रदेश की पंचायती राज संस्थाओं हेतु टाइड ग्राण्ट की प्रथम किश्त की अवमुक्त कुल धनराशि रू. 16,08,52,08,000/- में से क्रमश: जिला पंचायतों को रू. 45,28,20,042/- एवं ग्राम पंचायतों को रू. 15,63,23,87,958/- संलग्न फाण्ट के अनुसार निम्नवत शर्तों के अधीन श्री राज्यपाल व्यय हेतु सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों

(1) निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय के सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023 दिनांक 17.03.2023 में उल्लिखित निर्देशों का कडाई से अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) पन्द्रहवें केन्द्रीय वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत पंचायतीराज संस्थाओं को संक्रमित की जा रही धनराशि का व्यय पन्द्रहवें वित्त आयोग की धनराशि का उपयोग किए जाने के संबंध में निर्गत शासनादेश संख्यां-30/2020/1594/33-3-2020-33/2020 दिनांक 29.06.2020 व अन्य मार्गदर्शी सिद्धान्तों में निहित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन किया जाएगा।

(3) पंचायतीराज संस्थायओं हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि कोषागार से आहरित कर किसी भी दशा में निदेशक, पंचायतीराज उ0प्र0 द्वारा बैंक खाते में नहीं रखी जायेगी।

(4) कोषागार से धनराशि आहरित कर सीधे पंचायतीराज संस्था ओं के खाते में जमा की जायेगी। उक्त प्रक्रिया पी.एफ.एम.एस. के सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों के अनुसार किया जायेगा।

(5) निदेशक, पंचायतीराज उ0प्र0 द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि पंचायतीराज संस्थाओं का बैंक खाता, आई.एफ.एस.सी. कोड, जिसमें धनराशि जमा की जा रही है, वह सही है।

(6) धनराशि के आहरण की सूचना बाउचर संख्या एवं दिनांक सहित पंचायतीराज अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन को उपलब्ध कराई जायेगी।

(7) स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग केवल उन्हीं प्रयोजनों के लिए किया जायेगा जिसके लिए धनराशि दी जा रही है। इस धनराशि से किसी प्रकार का व्यावर्तन/समायोजन अनुमन्य नहीं होगा।

(8) उक्तानुसार वित्तीय स्वीकृति धनराशि को निर्गत करने के पूर्व जनपदवार धनराशि की उपलब्धता सुनिश्चित कर लिया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का व्यय/ उपयोग उसी प्रयोजन हेतु किया जाएगा जिसके लिए यह स्वीकृत की जा रही है। इससे इतर व्यय वित्तीय अनियमितता होगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्वव निदेशक, पंचायतीराज उ0प्र0 लखनऊ का होगा।

(9) वित्तीय स्वीकृत की धनराशि का आवंटन (एलाटमेन्ट) मात्र ही किसी प्रकार के व्यय करनें का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और फाइनेन्शियल हैण्ड बुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो; उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाए।

(10) शासकीय व्यय में मितव्यियता नितान्त आवश्यक है। अत: व्यय करते समय मितव्ययिता के संबंध में वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या-4/2018/ आर0जी0-1021/ दस/ 2018-मित0-1/2017 दिनांक 18.09.2018 विशेष रूप से पालन किया जायेगा।

(11) वित्तीय स्वीकृति का आदेश बजट में जनपदवार उपलब्ध0 धनराशि की सीमा के उपर कदापि नहीं निर्गत किया जायेगा। जनपदवार फाण्ट के सही होनें का दायित्व

निदेशक,पंचायतीराज का होगा। धनराशि का आहरण/ व्यय में भारत सरकार की गाइड लाइन/ दिशा-निर्देश का अनुपालन अक्षरश: सुनिश्चित किया जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023 /बी-1-227/दस-2023-231/2023 दिनांक 17.03.2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय (*1*) रुपये 45,28,20,042 (रुपये पैंतालीस करोड़ अट्ठाईस लाख बीस हजार बयालीस मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 20232024 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 014 **लेखा शीर्षक** 2515001960500 पन्द्रहवां वित्त आयोग द्वारा संस्तुत अनुदान **मानक मद** 20 सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन) (*2*) रुपये 15,63,23,87,958 (रुपये पंद्रह अरब त्रेसठ करोड़ तेईस लाख सतासी हजार नौ सौ अट्ठावन मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 20232024 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 014 **लेखा शीर्षक** 2515001980500 पन्द्रहवां वित्त आयोग द्वारा संस्तुत अनुदान **मानक मद** 20 सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक- 17-मार्च, 2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

मनोज कुमार सिंह
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

Signed by मनोज कुमार सिंह
Date: [illegible]-11-2023 [illegible]:45:51
Reason: Approved

संख्या- /2023/ /001-2367, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।

2- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ एवं प्रयागराज।

3- निदेशक, स्थानीय निधि, लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।

4- समस्त मण्डलायुक्त।

5- समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0 ।

6- समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0।

7- उप निदेशक, जिला पंचायत अनुश्रवण कोष्ठक, उ0प्र0 ।

8- समस्त अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायतें, उ0प्र0।

9- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन लखनउ।

10- संबंधित बैंकों को।

11- निदेशक,पंचायतीराज,लेखा उ0प्र0।

12- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-2/ वित्त (आय- व्ययक) अनुभाग-2

13- वित्त संसाधन (केन्द्री य सहायता) अनुभाग ।

14- वित्त संसाधन (वित्त आयोग) अनुभाग।

15- समस्त जिला पंचायतराज अधिकारी, उ0प्र0।

16- समस्त खण्ड विकास अधिकारी, उ0प्र0।

17- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

गिरिजेश कुमार,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।